



286



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /

सन् दिनांक
ग्वालियर - 6314/2018/निवाडी/श्र-रु

मनोज तनय रामप्रकाश श्रीवास्तव निवासी
पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाडी (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

..... अनावेदक

न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर
द्वारा अपने न्यायालय के अपील प्रकरण क्रमांक 854
अ-68/16-17 में दिनांक 5.9.2018 को पारित निर्णय एवं
आदेश के विरुद्ध रिवीजन अंतर्गत द्वारा धारा 50 म.प्र.भू.रा.
संहिता 1959

महोदय जी,

3

दस्तावेज
शुको
हेतु
नेयत।
दृ 31-10-18
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-6314/2018/निवाड़ी/भू0रा0

मनोज विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29-8-2019	<p>आवेदक अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 854/अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 05-09-2018 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 31-10-2018 को प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 में धारा 50(2)(ख) के अनुसार अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा।</p> <p>ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन प्रचलन योग्य नहीं होने अग्राह्य किया जाता है।</p> <p>पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	

(जे0के0 जैन)
सदस्य